ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00089

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 24/2018

1. मलकीत सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री सुरजप्रकाश भादू , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री गुरजीत वानर, राजकीय अधिवक्ता

::आदेश:: दिनांक :–30.03.2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.03.2018 गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ दस्तावेज होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। अपीलांट एक अनपढ़ किसान भोला भाला व्यक्ति है तथा अंगूठाछाप है। शहरों में गांवों में अनेको मोबाईल टावर लगे होने तथा ऐयरटेल कम्पनी के द्वारा अपीलांट के रकबा चक 4 बी एन डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 120 के किला नम्बर 11 के सड़क के साथ लगती जगह जिसमें कई बार कास्त भी नहीं हो पाती है टावर लगाने के लिए मांगने पर अपीलान्ट ने कानून की जानकारी के अभाव में 50X50 की जगह दे दी तथा सरपंच ग्रांम पंचायत पटवारी हल्का आदि की देखा देखी जानकारी से टावर स्थापित किया गया जो कि चल रहा है अब पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर दिनांक 20.02.2018 को धारा 22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम का गलत प्रकरण कायम कर अदालत मातहत के द्वारा बिना अपीलान्ट को बुलाए सुने ही आदेश जेर अपील पारित किया गया है जबकि ना तो किसी नोटिस की कभी तामिल हुई ना ही अपीान्ट को ऐसी किसी कार्यवाही का पता चला ना ही बुलाया ना ही सुना गया ना ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। अतः आदेश गलत व यकतरफा होने तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना ना होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। इस प्रकार से अपीलांट एक प्रभावित व्यक्ति था व प्रभावित व्यक्ति को ही नहीं सुना गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल ने अपने अनेको न्याया निर्णयों में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किए है कि अगर प्रभावित व्यक्ति को ना सुने कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह निरस्तनीय है। अतः आदेश जेर अपील भी हर प्रकार से ही निरस्तनीय है। अपीलान्ट को बुलाया व सुना जाता तो उसको ना केवल कानून की जानकारी हो जाती बल्कि वह तुरन्त ही 50X50 फीट की भूमि को संपरिवर्तन करवाने की कार्यवाही करता व अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखता कि वह अनपढ़ भोलाभाला किसान है तथा कानूनी जानकारी ना होने से ही उसके 50X50 की जगह टावर के लिए दी है। अपीलान्ट को जैसे ही पता चला कि संपरिवर्तन करवाना आवश्यक है उसने तहसीलदार से भी आग्रह किया कि संपरिवर्तन राशि जमा करवाकर संपरिवर्तन किया जावें ना करने पर , उपखण्ड अधिकारी के भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पेश करके संपरिवर्ततन शुल्क की राशि जमा करवा दी गई है। प्रार्थना पत्र तथा चालान रसीद की नकले शामिल है। इस प्रकार से वास्तव में अपीलान्ट ने जानबूझकर कोई अपराधिक कार्य नहीं किया है कानून की जानकारी के अभाव में व अनपढ होने से ही हुआ है जिसकी वह माफी चाहता है। टावर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्थापित करने के लिए यदि किसी आवश्यक पूर्व स्वीकृति की अथवा किसी एन.ओ.सी. की आवश्यकता होती हो तो यह दायित्व ऐयरटेल कम्पनी का था ना कि अपीलान्ट का था क्योंकि मोबाईल टावर कम्पनी ने ही स्थापित किया है। इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का की देखा देखी काफी समय से टावर स्थापित कर चलाया जा रहा है। इस प्रकार से यदि वास्तव में अपीलान्ट का कोई दोष होता तो तुरन्त कार्यवाही की जाती रोका जाता। मगर ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कथन नहीं किया कि किस तारीख को किस रोज उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषि कार्य के लिए उपयोग करना शुरू किया गया है। इस प्रकार से भी यह स्पष्ट है कि यह मामला किसी प्रकार से धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की परिभाषा में ही नहीं आता है। धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम किसी रकबा राज पर अतिकमण करके नाजायज काश्त करने के लिए ही प्रभावी है जबकि इस मामला में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। अतः समस्त कार्यवाही ही गलत की गई है तथा आदेश जेर अपील गलत यकतरफा पारित किया गया है जोकि निरस्तनीय है। अगर वास्तव में यह गलत था तो पटवारी हल्का व सरपंच को उसी रोज ही रोकना चाहिए था जब टावर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इससे भी यह स्पष्ट है कि वास्तव में अपीलान्ट का कोई दोष नही रहा है। अगर कानून की जानकारी के अभाव में कोई कार्य सदभावना पूर्वक किया जाता है तो वह किसी दोष की परिभाषा में नहीं आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कृषक को अपनी खातेदारी भूमि के एक निर्धारित भाग तक उसका उपभोग रिहायश आदि के लिए करने का अधिकार है जैसे ढाणी बनाना। कृषि उपकरण रखने के लिए कोठा आदि बनाना। अतः अपीलान्ट की भूमि में उक्त जगह 50X50 के लिए कानुनन भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि इस जगह को अपीलान्ट अकृषि कार्य के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी उपयोग करने का हकदार है। उक्त 50X50 का छोटा सा भाग सड़क के साथ लगता है तथा कई बार सड़क की वजह से काश्त भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार से भी तावान कायम करने व बेदखल करने का आदेश गलत पारित किया गया है। चूंकि अपीलांट ने सरपरिर्वतन के लिए आवेदन कर आवश्यक राशि भी जमा करवा रखी है। अतः यदि बेदखल किया गया तो अपीलान्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत निरस्त करने का हुकम फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सादूलशहर का निर्णय दिनांक 14.03.2018 सही है। अपीलार्थी द्वारा चक 4 बीएनडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 120 के किला नम्बर 11 में 0.025 हैक्टयर कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये ऐयरटेल कम्पनी का टावर निर्माण कर अकृषि उपयोग किया जो नियमों के विरूद्व है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.03.2022 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत जो कार्यवाही की गई है वह सही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.03.2018 गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ दस्तावेज होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। शहरों गांवों में अनेको मोबाईल टावर लगे होने तथा ऐयरटेल कम्पनी के द्वारा अपीलांट के रकबा चक 4 बी एन डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 120 के किला नम्बर 11 में कानून की जानकारी के अभाव में 50X50 की जगह दे दी तथा सरपंच ग्रांम पंचायत पटवारी हल्का आदि की देखरेख एवं जानकारी से टावर स्थापित किया गया जो कि चल रहा है। अपीलांट एक प्रभावित व्यक्ति था व प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल ने अपने अनेको न्यायिक निर्णयों में यही सिद्वान्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रतिपादित किए है कि अगर प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह निरस्तनीय है। अपीलान्ट को जैसे ही पता चला कि संपरिवर्तन करवाना आवश्यक है उसने तहसीलदार से भी आग्रह किया कि संपरिवर्तन राशि जमा करवाकर संपरिवर्तन किया जावें ना करने पर , उपखण्ड अधिकारी के भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पेश करके संपरिवर्ततन शुल्क की राशि जमा करवा दी गई है। प्रार्थना पत्र तथा चालान रसीद की नकले शामिल है। इस प्रकार से वास्तव में अपीलान्ट ने जानबूझकर कोई अपराधिक कार्य नहीं किया है कानून की जानकारी के अभाव में व अनपढ होने से ही हुआ है। टावर स्थापित करने के लिए यदि किसी स्वीकृति की अथवा एन.ओ.सी. की आवश्यकता होती हो तो यह दायित्व ऐयरटेल कम्पनी का था ना कि अपीलांन्ट का था क्योंकि मोबाईल टावर कम्पनी ने ही स्थापित किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कथन नहीं किया कि किस तारीख को किस रोज उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषि कार्य के लिए उपयोग करना शुरू किया गया है। इस प्रकार से भी यह स्पष्ट है कि यह मामला किसी प्रकार से धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की परिभाषा में ही नहीं आता है। धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम किसी रकबा राज पर अतिक्रमण करके नाजायज काश्त करने के लिए ही प्रभावी है जबकि इस मामला में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। चूंकि अपीलांट ने सरपरिर्वतन के लिए आवेदन कर आवश्यक राशि भी जमा करवा रखी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत निरस्त करने का हुकम फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार सादूलशहर ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा चक 4 बीएनडब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 120 के किला नम्बर 11 में 0.025 हैक्टयर कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये ऐयरटेल कम्पनी का टावर निर्माण कर अकृषि उपयोग करने पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत जो कार्यवाही की गई वह नियमों की पालना में की गई है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा ऐयरटेल कम्पनी को उक्त विवादित रकबा पर बिना संपरिवर्तन करवाये टावर निर्माण की स्वीकृति दी है वह नियमों के विरूद्व है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार सादूलशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 विधिसम्मत है और इसमें दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः तहसीलदार सादूलशहर का आदेश बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सादूलशहर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति० जिला कलेक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।